क्रम-संख्या–49 (क–3)

रजिस्ट्रेशन नं०–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 20 मार्च, 2023

फाल्गुन 29, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य सम्पत्ति विभाग

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1

————————

संख्या ई0 917 / बत्तीस-1–2023-02-2021

लखनऊ, 20 मार्च, 2023

————————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–8

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा नियमावली, 2023

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2–उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा में समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3–जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश से है;

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ङ) ''संविधान'' का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से है;

(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(झ) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ञ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा से है;

(ट) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो, नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हों, तो सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ठ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गई है:–

परन्तु यह कि:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकती हैं; जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती हैं, जितना वह उचित समझें।

भाग–तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(एक) **<u>स्वागती</u>**

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) **<u>वरिष्ठ स्वागती</u>**

मौलिक रूप से नियुक्त स्वागतियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(तीन) **मुख्य स्वागती**

मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ स्वागतियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को उस पद पर पाँच वर्ष की सेवा अथवा स्वागती और वरिष्ठ स्वागती के रूप में कुल बारह वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 एवं भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा।

भाग–चार

अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, यूगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिदेशक या अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारतीय नागरिकता अर्जित कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, को किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8–सेवा में स्वागती के पदों पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है;

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि;

(दो) हिन्दी और अंग्रेजी में पढ़ने, लिखने तथा वार्तालाप करने की पूर्ण योग्यता और इसके लिए उससे इण्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी और अंग्रेजी विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

अधिमानी अर्हता

9–ऐसे अभ्यर्थी, जिसने:–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10—सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में ऊपरी आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का ऐसा चरित्र होना आवश्यक है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसके एक से अधिक पति जीवित हों।

शारीरिक स्वस्थता

13—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी, कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड—दो भाग—तीन के अध्याय—तीन में अन्तर्विष्ट फण्डामेण्टल रूल—10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए किसी अभ्यर्थी से चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाण—पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग—पाँच

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14—नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के प्रक्रम के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या को भी अवधारित करेगा और उसे आयोग को सूचित करेगा।

स्वागती के पदों हेतु आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15—सेवा में स्वागती के पद पर सीधी भर्ती, समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह ''ग'' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी।

वरिष्ठ स्वागती और मुख्य स्वागती के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16—पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिए गए मानदण्डों के आधार पर की जायेगी।

टिप्पणी :— चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने हेतु अधिकारियों का नामनिर्देशन समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन कृत आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति/पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाएं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसा उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17–(1) नियम 16 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम, उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आए हों, नियुक्ति करेगा।

परिवीक्षा

18–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी हों, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

19–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

20–सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात

वेतन इत्यादि

वेतनमान

21–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान, ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय;

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिए गए हैं :–

क्रमांक	पद का नाम	वेतनमान
1	2	3
1	स्वागती	वेतन मैट्रिक्स रू0 25,500–81,100 लेवल–4
2	वरिष्ठ स्वागती	वेतन मैट्रिक्स रू0 29,200–92,300 लेवल–5
3	मुख्य स्वागती	वेतन मैट्रिक्स रू0 35,400–1,12,400 लेवल–6

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22–(1) फण्डामैण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, को समय–मान में प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसा व्यक्ति, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, का परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसा व्यक्ति, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, का परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग–आठ

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23–सेवा के किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक हों, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य मामलों का विनियमन

24–ऐसे मामलों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों से आच्छादित न हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सामान्यतया सरकारी सेवकों पर लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

25–जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहाँ उस मामले में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

26–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिषिष्ट

[**नियम 4 (2) देखें**]

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या		योग
		स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5
1	स्वागती	10	04	14
2	वरिष्ठ स्वागती	09	..	09
3	मुख्य स्वागती	06	..	06
	योग	**25**	**04**	**29**

आज्ञा से,
एस0 पी0 गोयल,
अपर मुख्य सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. E-917/XXXII-1-2023-2-2021, dated March 20, 2023 :

No. E-917/XXXII-1-2023-2-2021

Dated Lucknow, March 20, 2023

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Estate Department Swagati Cadre Service.

THE UTTAR PRADESH ESTATE DEPARTMENT SWAGATI CADRE SERVICE RULES, 2023

PART-I

GENERAL

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Estate Department Swagati Cadre Service Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Uttar Pradesh Estate Department Swagati Cadre Service is a service comprising of Group 'C' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :-

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994;

(b) ''Appointing Authority'' means the Rajya Sampatti Adhikari, Uttar Pradesh;

(c) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

(d) "Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;

(e) "Constitution" means the Constitution of India;

(f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(g) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(h) ''Member of the Service'' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(i) "Other Backward Classes of Citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(j) "Service" means the Uttar Pradesh Estate Department Swagati Cadre Service;

(k) "Substantive Appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(l) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a Calendar Year.

PART –II

CADRE

Cadre of service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such, as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given in the Appendix :-

Provided that:-

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he/she may consider proper.

PART-III

RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in service shall be made from the following sources:-

(I) Swagati

by direct recruitment through the Commission.

(II) Varishtha Swagati

by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Swagati who have completed seven years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

(III) Mukhya Swagati

by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Varishtha Swagati who have completed five years service on that post or a total length of service twelve years in respect of Swagati and Varishtha Swagati as such, on the first day of the year of recruitment.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Section) Act, 2020 as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV

QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Director General or the Additional Director General of Police, heading the Intelligence Branch of Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE :– A candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification

8. A candidate for direct recruitment to the posts of Swagati in the service must possess the following qualifications:-

(i) A bachelor's degree from a university established by law in India;

(ii) To have full ability to read, write and communicate in Hindi and English and for this he should have passed the Intermediate Examination with Hindi and English subjects.

Preferential Qualification

9. A candidate who has:-

(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years , or

(ii) Obtained a “B” certificate of National Cadet Corps.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule-10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume-II, Part-III :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V

PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

Procedure for Direct recruitment through the commission for the posts of Swagati

15. Direct Recruitment to the Swagati in the Service shall be made in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group "C" Posts (Mode and Procedure)Rules, 2015 as amended from time to time.

Procedure for recruitment by promotion for the posts of Varishtha Swagati and Mukhya Swagati

16. Recruitment by promotion shall be made on the basis of criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

NOTE :– Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986 as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidate also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

PART-VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

17. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 16 the appointing authority shall make appointment, by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15 or 16, as the case may be.

Probation

18. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013, as amended from time to time.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation, that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

(4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

19. (1)Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules, declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

20. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART-VII

PAY *Etc.*

Scales of pay

21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such, as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are as given below:

Sl. No.	Name of Post	Scale of Pay
1	2	3
1	Swagati	Pay Matrix Rs. 25,500-81,100 Level-4
2	Varishtha Swagati	Pay Matrix Rs. 29,200-92,300 Level-5
3	Mukhya Swagati	Pay Matrix Rs. 35,400-1,12,400 Level-6

Pay during probation

22. (1) Notwithstanding any provision in the fundamental rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII

OTHER PROVISIONS

Canvassing

23. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post of service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulations of other matters

24. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

Relaxation from the conditions of Service

25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving

26. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX

[*See* rules 4(2)]

Sl. No.	Name of post	Number of posts		Total
		Permanent	Temporary	
1	2	3	4	5
1	Swagati	10	04	14
2	Varishtha Swagati	09	--	09
3	Mukhya Swagati	06	--	06
	Total	25	04	29

By order,
S. P. GOYAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0य0पी0–ए0पी0 1276 राजपत्र–2023–(2135)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0य0पी0–ए0पी0 4 सा0 राज्य सम्पत्ति–2023–(2136)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।